

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखमि न्यूनीकरण परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में **आपदा न्यूनीकरण** और **क्षमता निर्माण** परियोजनाओं के लिये 1,115.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

मुख्य बंदि

■ समिति:

- समिति ने **राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF)** के अंतर्गत 15 राज्यों में भूस्खलन जोखमि को नमिन करने के प्रस्तावों की समीक्षा की।
- इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल के लिये **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)** से वित्त पोषण को भी मंजूरी दी।
- **15 राज्यों के लिये 1,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली राष्ट्रीय भूस्खलन जोखमि न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई।**
 - राज्यवार आवंटन:
 - उत्तराखंड: 139 करोड़ रुपए
 - हिमाचल प्रदेश: 139 करोड़ रुपए
 - आठ पूर्वोत्तर राज्य: 378 करोड़ रुपए
 - महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपए
 - कर्नाटक: 72 करोड़ रुपए
 - केरल: 72 करोड़ रुपए
 - तमिलनाडु: 50 करोड़ रुपए
 - पश्चिम बंगाल: 50 करोड़ रुपए
 - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 115.67 करोड़ रुपए के कुल परविय के साथ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मंजूरी दी गई।

■ समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन:

- **शहरी बाढ़ जोखमि शमन परियोजनाएँ:** सात शहरों के लिये 3,075.65 करोड़ रुपए के कुल परविय के साथ **शहरी बाढ़** जोखमि प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- **GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखमि प्रबंधन परियोजनाएँ:** NDMF के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल लागत पर चार राज्यों के लिये **GLOF** को मंजूरी दी गई।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के अधिनियम के साथ **राष्ट्रीय आपदा आकस्मकता नधि (NCCF)** का नाम बदलकर **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)** कर दिया गया।
 - इसे **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
- किसी भी आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा के कारण **आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिये व्यय को पूरा करने के लिये** इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
 - यह गंभीर प्रकृतिकी आपदा की स्थिति में **SDRF** की सहायता करता है, बशर्ते **SDRF** में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।

ग्लेशियल झील वस्फोट बाढ़ (GLOF)

- हिमनद झील वस्फोट बाढ़ (GLOF) एक विनाशकारी बाढ़ की स्थिति है, जो तब उत्पन्न होती है जब **हिमनद झील का बाँध टूट जाता है**, जिसके परिणामस्वरूप विशाल मात्रा में जल का प्रवाह होता है।
- इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने या भारी वर्षा या पिघले जल के प्रवाह के कारण झील में **जल के जमाव के कारण** होती है।

- फरवरी 2021 में [उत्तराखण्ड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ आई](#), जिसके बारे में संदेह है कयिह GLOF के कारण आई थी।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-landslide-risk-reduction-project>

